

18/11/25

पत्रावली पैरा है। पत्रावली पत्रावली अपस्थित।
वादी रमेश कुमार ने प्रार्थना पत्र पैरा कर
वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आपस में रजिनामा
हो जाने से वाद को आगे नहीं चलाने हेतु
निवेदन किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र के आधार पर प्रकरण को जरिअे विश्वल
खारिज किया जाता है। पत्रावली पैरा रमेश कुमार
द्वारा नम्बर से कम है।

रमेश कुमार!

पत्रावली
Ramesh Kumar
No



सहायक बस्तिर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली